(वाद संख्या–3672/2019)

24.11.2020

परिवादी विनोद पोद्दार उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना तथा संचिका का अवलोकन किया

प्रसंगाधीन मामला दिनांक 01.05.2019 को परिवादी के 17 वर्षीय पुत्र, बादल कुमार, की सर्पदंश के उपरांत सदर अस्पताल, बेगूसराय की अव्यवस्था एवं चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मृत्यु से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक 01.05.2019 की संध्या 07:00 बजे खेलने के दौरान उसके पुत्र बादल कुमार को साँप काट लिया। तत्काल उसके साथियों द्वारा उसे चिकित्सा हेतु सदर अस्पताल, बेगूसराय ले जाया गया। करीब आधे घंटे तक सदर अस्पताल, बेगूसराय में पानी चढ़ाने के क्रम में बादल कुमार की स्थिति नाजुक होने लगी। तत्पश्चात् बादल के साथियों द्वारा उसे बेहतर चिकित्सा हेतु निजी अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी।

परिवादी का कथन है कि सदर अस्पताल, बेगूसराय की अव्यवस्था एवं वहाँ के चिकित्सकों की लापरवाही के कारण ही उसके 17 वर्षीय पुत्र की असामयिक मृत्यु हो गयी जिसके लिए उसे अनुग्रह अनुदान दिया जाय।

परिवादी के परिवाद–पत्र पर **जिला पदाधिकारी, बेगूसराय** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर उसे आयोग को अग्रसारित किया गया है। असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय का अपने प्रतिवेदन में कथन है कि उन्होंने परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में (1) **अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग,**

बेगूसराय (2) जिला वेक्टर जतिन रोग नियंत्रण पदाधिकारी, बेगूसराय एवं (3) **अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय** द्वारा गठित एक त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा जांच करायी । त्रि–सदस्यीय समिति के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पुत्र को दिनांक 01.05.2019 को संध्या 07:20 बजे उनके परिजनों द्वारा साँप काटने की शिकायत को लेकर सदर अस्पताल, बेगूसराय के आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया तथा तत्क्षण प्रभारी चिकित्सक, डॉ0 संजय कुमार, द्वारा 07:20 बजे ही आपातकालीन कक्ष में उसे भर्ती किया गया। उस समय मरीज की स्थिति काफी नाजुक थी । उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए मरीज को अविलंब मेडिकल वार्ड में भर्ती किया गया तथा ASVS (4) चार Vial NS I.V.Route के द्वारा चढ़ाने का निर्देश दिया गया एवं कार्य में उपस्थित परिचारिकाओं द्वारा ईलाज भी शुरू कर दिया गया। ASVS के अलावे ANTIBOITIC, NEOSTIGMINE,ATROPIN, DICLOFENCE की सूई भी मरीज को दी गयी। प्रभारी चिकित्सक, डॉ0 संजय कुमार, ने मरीज की अति गम्भीर स्थिति को देखते हुए संध्या 07:50 बजे पुनः Vial ASVS Normal Slaine के साथ चलाने का निर्देश दिया। लेकिन मरीज के परिजनों द्वारा असहयोग किया गया तथा वे लोग रात्रि 08:05 बजे जबरदस्ती मरीज को लेकर बाहर चले गये, जिस कारण मरीज को ASVS पुनः नहीं दिया जा सका । इसी बीच प्रभारी चिकित्सक, डॉ0 संजय कुमार द्वारा अपने फिजिसियन, डॉ0 विनोद कुमार शर्मा, को मरीज की स्थिति की जानकारी देते हुए उनसे आने का आग्रह किया गया। डॉ0 शर्मा रात्रि 08:05 बजे अस्पताल पहुँचे, हालांकि उनकी ड्यूटी रात्रि 08:00 बजे से ही थी। डॉ0 विनोद कुमार शर्मा के अस्पताल पहुँचने से पहले ही मरीज (बादल) के परिजन मरीज को लेकर ASVS का चार खाली Vial के साथ अस्पताल से चले गये। डॉ0 शर्मा को यह जानकारी मिली कि मरीज के परिजन मरीज को अस्पताल से लेकर डॉ0 शशिभूषण शर्मा के क्लिनिक में ले गये हैं। डॉ0 विनोद कुमार शर्मा मानवता के नाते मरीज को देखने के लिए डॉ0 शशिभूषण शर्मा के क्लिनिक में भी गये, लेकिन वहां यह जानकारी मिली कि मरीज के परिजन मरीज को लेकर ALEXIA

HOSPITAL चले गये हैं। त्रि–सदस्यीय जांच दल का अपने जांच प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष है कि **सदर अस्पताल के चिकित्सक एवं परिचारियों द्वारा मरीज बादल का ससमय ईलाज किया गया, लेकिन मरीज के परिजन मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए अपना आपा खो दिये जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई।**

परिवादी का कथन है कि सदर अस्पताल, बेगूसराय के चिकित्सकों व परिचारिका की लापरवाही से ही उसके 17 वर्षीय पुत्र की असामयिक मृत्यु हो गयी।

संचिका पर उपस्थित कागजातों से यह प्रतीत होता है कि परिवादी के पुत्र को संध्या 07:20 बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा 45 मिनट बाद ही रात्रि 08:05 बजे बिना नियमानुसार डिस्चार्ज करवाये, मरीज के परिजन, जबरदस्ती उसे लेकर अस्पताल से चले गये। मरीज के Treatment Chart के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उसे संध्या 07:30 बजे पानी चढ़ाना शुरू कर दिया गया था। स्वयं परिवादी का कथन है कि मरीज के परिजन मरीज के सदर अस्पताल, बेगसराय में हुए चिकित्सा से संतुष्ट नहीं थे। परिवादी का यह भी कथन है कि स्वयं वह घटना स्थल पर उस समय मौजूद नहीं था । उसे चिकित्सकों की लापरवाही की जानकारी बाद में अन्य लोगों द्वारी दी गयी। त्रि–सदस्यीय जांच समिति के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित कागजातों से यह प्रतीत होता है कि सदर अस्पताल, बेगूसराय के चिकित्सकों द्वारा मरीज की ससमय चिकित्सा प्रारंभ कर दी गयी थी लेकिन उसकी स्थिति सुधर नहीं रही थी। **सदर अस्पताल, बेगूसराय में उस समय मात्र एक चिकित्सक का रहना तथा किसी वरीय चिकित्सक का नहीं रहना सदर अस्पताल, बेगूसराय की कुव्यवस्था को दर्शाता है तथा ऐसी स्थिति में ही सामान्यतः अस्पतालों में ऐसी अप्रिय घटना घटती है।**

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय से अनुरोध है कि एक वरीय चिकित्सक की सेवा हमेशा अस्पताल में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

अब जबकि मरीज के परिजनों के द्वारा मात्र 45 मिनट तक ही मरीज की चिकित्सा सदर अस्पताल, बेगूसराय में करायी गयी तथा बिना अस्पताल से नियमानुसार डिस्चार्ज कराये ही मरीज के परिजन जबरदस्ती मरीज को उसके जीवित अवस्था में बिना उपस्थित प्रभारी चिकित्सक की सलाह पर उसे अस्पताल से ले गये, तो ऐसी स्थिति में **आयोग प्रसंगाधीन मामले को अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की श्रेणी में नहीं पाता है।**

तद्नुसार प्रस्तुत संचिका को आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु** एवं **परिवादी** को सूचनार्थ भेज दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक